रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4401] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2018/कार्तिक 10, 1940
No. 4401] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2018/KARTIKA 10, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2018

का.आ. 5608(अ).—केंद्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3288(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2016 को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए यह अधिसूचित करती है कि—

(i) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी 1 नवंबर, 2016 को आरंभ होने वाली और उस तारीख की पूर्ववर्ती तारीख, जिसको उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में, जिनमें उसके द्वारा निर्देश प्राप्त किए गए हैं, उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करना प्रारंभ करता है, को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ii) खंड (i) में अंवर्तिष्ट किसी बात के होते हुए भी, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, ऐसे मामलों के संबंध में, जिसमें उस मास के अंत से, जिसमें उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के अधीन

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करना प्रारंभ किया है, दो मास की समाप्ति के पूर्व उक्त आदेश का पारित किया जाना अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करेगा;

(iii) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 25 में निर्दिष्ट अपील अधिकरण, 1 नवंबर, 2016 को आरंभ होने वाली और उस तारीख की पूर्ववर्ती तारीख, जिसको उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित अपील अधिकरण ऐसे मामलों के संबंध में, जिनमें उसके समक्ष अपील फाइल की गई है, उक्त अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन करना प्रारंभ करता है, को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

यह अधिसूचना उसके राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 77/2018/फा. सं. 370149/194/2017-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2018

S.O. 5608(E).—In exercise of powers conferred by section 71 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988) (hereafter referred to as the said Act) and in suppression of notification number S.O. 3288(E) dated the 25th October, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby notifies that,—

(i) the Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) shall discharge the functions of the Adjudicating Authority under the said Act, for the period beginning on 1st day of November, 2016 and ending on the date preceding the date on which the Adjudicating Authority appointed under the said Act commences discharging the functions of the Adjudicating Authority under the said Act, in respect of cases in which references have been received by it;

(ii) notwithstanding anything to the contrary contained in clause (i), the Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) shall pass order under sub-section (3) of section 26 of the said Act in respect of case in which the said order is required to be passed before the expiry of two months from the end of the month in which the Adjudicating Authority appointed under the said Act commences discharging the functions of the Adjudicating Authority under the said Act;

(iii) the Appellate Tribunal referred to in section 25 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) shall discharge the functions of the Appellate Tribunal under the said Act, for the period beginning on 1st day of November, 2016 and ending on the date preceding the date on which the Appellate Tribunal established under the said Act commences discharging the functions of the Appellate Tribunal under the said Act, in respect of cases in which appeals have been filed before it.

This Notification shall come into effect from the date of its publication.

[Notification No.77/2018/F.No.370149/194/2017-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy & Legislation)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.11.01 18:47:45 +05'30'